



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग कोरबा, (छत्तीसगढ़)

स्थायी सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण-पत्र
(अन्य पिछड़े वर्ग के लिए)

आवेदन सन्दर्भ क्रमांक 0705011902002938

रजिस्ट्रेशन क्रमांक 2019-02-006305

प्रमाणित किया जाता है कि चूड़ामणी पिता जमुना प्रसाद निवासी गाँव रीवांपार तहसील करतला तहसील वरपातो उप तहसील जिला कोरबा राज्य छत्तीसगढ़ के निवासी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग मरार जाति का / कि है। जिसे पिछड़े वर्ग रूप में छत्तीसगढ़ शासन, अद्विग जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.एफ. 8-5/ पप्पीस/4/84, तिथि 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है तथा यह जाति छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमंक 33(घ) पर अंकित है। चूड़ामणी और/या उनका परिवार सम्बन्धतः छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा तहसील वरपातो उप तहसील में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि चूड़ामणी कीर्गीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार का कृषि एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36012/22/93/स्था(एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 तथा संशोधित परिपत्र संख्या 36033/3/2009-स्था (आरक्षण) दिनांक 14-10-2008 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-3/2001/1-3 दिनांक 24-6-2009 के कांसार 3 में किया गया है। यह प्रमाण-पत्र इन उपबंधों के अधीन जारी किया गया है कि यदि जिला स्तरीय प्रमाणपत्र सत्यापन समिति अथवा उच्च स्तरीय प्रमणीकरण समिति के द्वारा अपनी जांच/निरीक्षण में आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी चूड़ामणी के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रस्थिति का दावा असत्य अथवा कपटपूर्ण पाया जाता है तो यह प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा तथा तत् समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी कानून के हरेतें हुए भी छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (समाजिक प्रस्थिति के प्रमणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 के अधीन कार्यवाही कि जावेगी।

It is hereby certified that Mr/Mrs/Ms **CHUDAMANI** Father **JAMUNA PRASAD** resident of **RIWANPAR** village tehsil **BARPALI** **UPTESIL** District **Korba** belongs to Other Backward Class **Marar** caste. This caste has been recognized as Other Backward Classes vide Notification no. F-8-5/25/4/84 dated 26th December 1984, as amended from time to time by subsequent notifications, and this caste mentioned at serial no 33(gh) as Other Backward Class of Chhattisgarh state. Therefore, MR/Mrs/Ms **CHUDAMANI** father **JAMUNA PRASAD** belongs to Other Backward Class.
2. This is also certified that Mr/Mrs/Ms **CHUDAMANI** does not belong to the category of creamy layer persons/ classes which have been mentioned in the circular no 36012/22/93/ESTT(SCT) dated 8/09/1993 as amended by notification on 36033/3/2009-ESTT (Reservation) dated 14/10/2008 of Government of India, department of personnel and training and in column 3 of circular number F-9-3/2001/1-3 dated 24/06/2009 of General Administration Department.
3. This certificate has been issued under the provisions that in case the district level certificates verification committee or high power certification scrutiny committee during its inquiry /inspection finds the claim submitted by Mr/Mrs/Ms **CHUDAMANI** is false or fraudulent, the certificate shall be deemed to be cancelled with immediate effect and notwithstanding contained anything under any other law for the time being in force, action shall be initiated under section 8(1) of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of social status certification) Act, 2013.

डिजिटल हस्ताक्षरित

अनुमोदन दिनांक: 23/07/2019

श्री मास्कर सिंह मरकाग
अनुविभागीय अधिकारी

एक प्रमाण पर चूड़ामणी की जाति प्रमाण इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र की मुद्रित प्रतिलिपि है जिस सूचना प्रमाणिकृत अधिनियम 2013 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 के द्वारा मान्यता प्राप्त की गयी है।

This Caste Certificate is printed copy of electronic certificate which is recognised as per Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rule 2003 under the Information Technology Act 2008.

2. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का समस्त व क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होने पर सम्बन्धित क्षेत्र द्वारा किया गया है तथा इस पर मुद्रित जानकारी इस इलेक्ट्रॉनिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र में मिलित है।

The Electronic Certificate is authenticated with the digital signature of Competent Authority. This has been verified by me and the information printed on Certificate is contained in the above mentioned Electronic Certificate.

3. आवेदन संदर्भ क्रमांक व उपबंध का इस प्रमाण पत्र के फुल कोपत जलबन्दी cdistrict.cgstate.gov.in से अपने QR Code Scanning से प्राप्त की जा सकती है।

On citing Application Reference Number, validity related details of the Certificate can be obtained at website- cdistrict.cgstate.gov.in, or from QR code Scanning.

4. यदि इस प्रमाण पत्र किसी अधिकारी अथवा कार्यालय द्वारा बर्णन करते हैं तो इसकी शृंखला प्रिण्ट के चोइस केंद्र/लोक सेवा केंद्र के दे अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2533350 पर संपर्क की।

In case of denial of acceptance of the Certificate by any Official or Office, inform the nearest CHOICE Center/Lok Sewa Kendra

मुद्रण दिनांक: 23/07/2019

प्रकाशित के हस्ताक्षर

लोक सेवा /चोइस एजेंट के हस्ताक्षर



Signature valid

Digitally signed by BHASKAR SINGH MARKAL
Date: 2019.07.23 17:57:20
IST